(127)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 631–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–11–15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगंज इन्दौर प्रकरण कमांक 7/अपील/2015–16.

रामेश्वर पिता किशनलाल शर्मा
निवासी 59, सुभाष मार्ग, इन्दौर .....आवेदक

विरूद्ध

राजेश पिता भेरूलाल
निवासी 150, सुभाष मार्ग, इन्दौर .....अनावेदक

श्री तेज बहादुर शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री व्ही0आर0 पुरोहित, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगंज इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 5–10–15 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगंज के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 7/अपील/2015–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक की ओर से आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–11–15 को

अंतरिम आदेश पारित कर आपत्ति निरस्त की जाकर प्रकरण पंजीबद्ध कर नोटिस जारी करने एवं तहसील न्यायालय से एल.सी.आर. मंगाये जाने के निर्देश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में संहिता की धारा 250 लागू नहीं होने के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक की ओर से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि प्रश्नाधीन भूमि व्यपवर्तित भूमि होकर उस पर मकान बना हुआ है, अतः संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है, इसलिए इस अपील को दर्ज नहीं किया जाकर इसी आधार पर निरस्त किया जाये, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है । यह आधार भी लिया गया है कि चूंकि प्रकरण में संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी को अपील सुनने का भी अधिकार नहीं था, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित होने से निरस्त किया जाये ।

तर्कों के समर्थन में 1977 आर.एन. 339 (उच्च न्यायालय) एवं 2004 आर.एन. 24 (उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई है, अतः आवेदक द्वारा तकनीकी आधारों पर प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि प्रकरण का निराकरण सामान्यतः तकनीकी आधारों पर नहीं कर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्यायल प्राप्त हो सके ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर मकान बना हुआ है एवं भूमि व्यपवर्तित है, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 250 के

अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है क्योंकि संहिता की धारा 250 कृषि भूमि पर कार्यवाही किये जाने से संबंधित है । यदि अनावेदक की भूमि पर आवेदक द्वारा कब्जा किया है तो उसे व्यवहार न्यायालय से उपचार प्राप्त करना चाहिये । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगंज, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2015 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर